22/18

A2
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 31/2018
अन्तर्गत धारा 188,209,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

धीरजकुमार आत्मज श्री ओमप्रकाश, जाट, मदेरां, तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. करनैलसिंह एवं
2. जगदीशसिंह आत्मजन श्री केहरसिंह, कम्बोज, गांव कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. रामभरोसे आत्मज श्री आयोध्याप्रसाद, 2 डी बड़ी तहसील व जिला तहसीलदार श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री अवरिन्द्रसिंह (वादी)
श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रतिवादी–1)

दिनांक 04 जुलाई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/37 मुरब्बा नम्बर 31, 62 एवं 71/37 की कुल 6.236 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम पर 0.973 हैक्टर मे से 1/5 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. प्रतिवादीगण की बहिनों द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादीगण के पक्ष में परित्याग करने के परिणामताः प्रतिवादीगण के नाम पर 0.973 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. प्रतिवादीगण को अपनी घरू आवश्यकताओं के लिये उक्त कृषि भूमि में से 0.965 हैक्टर को विक्रय करने का प्रस्ताव वादी के समक्ष प्रस्तुत करने पर पक्षकारान के मध्य प्रतिफल राशि 4,90,000.00 के लिये इकरारनामा दिनांक 22 फरवरी, 2018 तहरीर करवाया जाकर अग्रिम राशि 2,00,000.00 रूपये एवं दिनांक 02 अप्रेल, 2018 को राशि 2,00,000.00 रूपये प्राप्त करने एवं शेष राशि 90,000.00 रूपयों के लिये निश्चित किया गया कि दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को वादी के नाम से विक्रय विलेख के समय प्राप्त कर विक्रय विलेख निष्पादित किया जायेगा. वादी द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2018 को प्रतिवादीगण को कथन किया गया कि वादी के सौदा इकरारनामा निष्पादित करने के बाद प्रश्नगत कृषि भूमि किसी अन्य को विक्रय नहीं कर सकते किन्तु प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा गया कि उन्होने राशि हड़प करनी थी कर ली, एक दो दिवस में प्रश्नगत कृषि भूमि को विक्रय कर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन कर देंगे. यदि प्रतिवादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा अन्तरित करने है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा वादी अपने अधिकारों से

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

22/18

A2
3

वंचित हो जायेगा इसलिये वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/37 मुरब्बा नम्बर 31, 62 एवं 71/37 की कुल 6.236 हैक्टर कृषि भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम पर 0.973 हैक्टर मे से 1/5 हिस्सा में से 0.965 हैक्टर कृषि भूमि को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 डी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रतियां एवं दस्तावेज इकरारनामा सौदा कृषि भूमि दिनांक 22 फरवरी, 2018, आधार कार्ड संख्या 6957 8567 2068 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु जारी पंजीकृत सम्मन की पावतियां प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण उन्हें रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 23 अप्रेल, 2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

आवेदक श्री रामभरोसे द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 मय अभिलेख प्रस्तुत किये गये. वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये. तथा आवेदनपत्र पर अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2018 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक श्री रामभरोसे को प्रतिवादी स्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 1 मई, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार जवाब वादपत्र के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ अंकित किया गया कि वादी द्वारा मा. न्यायालय के समक्ष इकरारनामा के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है वादी न तो खातेदार है व न ही राजस्व अभिलेखों मे वादी के नाम पर कृषि भूमि दर्ज ही है. इकरारनामा के आधार पर वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है. राजस्व न्यायालय मे वाद सुना नहीं जा सकता. इसलिये क्षेत्राधिकार के अभाव में वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि वादी द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में स्वयं ही इकरारनामा का उल्लेख किया गया है. प्रतिवादी संख्या 3 पंजीबद्व विक्रय विलेख के आधार पर काबिज है. यदि पंजीबद्व विक्रय विलेख पर कोई आपत्ति है तो उसके विरूद्व सिविल न्यायलय में कार्यवाही की जा सकती है इसलिये वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्रीमान शासन उपसचिव, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.5(6)राज–6/92/11 दिनांक 5 अप्रेल, 2006 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

22/18

A2/4

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 25 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसे अनुसार विचाराधीन आवेदनपत्र के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया गया है कि विचाराधीन वादपत्र सिविल प्रकृति का है जिसके श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है. गलत अंकित किया गया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित किया गया है कि वर्णित भूमि राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आती है और विचाराधीन वादपत्र राज. काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है इसलिये काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत मा. न्यायलय को श्रवणाधिकार उपलब्ध हैं. वादी द्वारा चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 44/37 मुरब्बा नम्बर 31 एवं 62, खाता संख्या 71/37 की कुल 6.236 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर 0.973 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा दर्ज है. जिसे वादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से क्रय किया गया है. इस प्रकार वादी के हक निहित हो जाते हैं. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख गलत करवाया गया है जिससे प्रश्नगत कृषि भूमि विवादित हो जाती है. जिनका निस्तारण विवाद्यकों के निर्धारण के बाद विनिश्चित किये जायेंगे. इसके आधारविहीन आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा सौदा कृषि भूमि दिनांक 22 फरवरी, 2018 के अनुसार विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा बरवक्त बैयनामा रजिस्ट्री मय बारी पानी दिनांक 15 नवम्बर, 2018 को संभला दिया जायेगा. जिससे यह तथ्य सिद्व होता है कि वादी द्वारा दस्तावेज इकरारनामा सौदा कृषि भूमि दिनांक 22 फरवरी, 2018 के माध्यम से क्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त ही नही किया गया है, ऐसी स्थिति में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार ही सृजित नही होते हैं. श्रीमान शासन उपसचिव, राजस्व(ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.5(6)राज–6/92/11 दिनांक 5 अप्रेल, 2006 के बिन्दु संया 7 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि जिन मामलों में विक्रय का अनुबन्ध(agreement of sale) हो चुका है, उन मामलों में विक्रय मानते हुए मामले की सुनवाई हेतु नही लिया जाना चाहिये क्योंकि 'agreement of sale विक्रय नहीं है. एवं agreement of sale के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार सिविलि न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी को विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार ही सृजित नही होने के परिणामतः प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार से सम्बद्व नहीं होने के कारण विचाराधीन वादपत्र विधि द्वारा वृजित है. इस प्रकार आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

22/18

A2
5

प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है. जिसके परिदृश्य विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है. तथा विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 4 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर